

क्रमांक- 675


महिदपुर, दिनांक 11/5/2021

जाहिर सूचना

नगरपालिका परिषद महिदपुर सीमाक्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम के संचालक/प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा एनबीसी टेबल-7 व भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार प्रत्येक को फायर एनओसी तथा लिफ्ट सुरक्षा की एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।

अतः उक्त समस्त आगामी सात दिवस में फायर एनओसी, फायर ऑडिट रिपोर्ट, लिफ्ट सुरक्षा आडिट व एनओसी नगरपालिका महिदपुर के लोक निर्माण शाखा में अनिवार्यतः उपलब्ध करावें। इस हेतु अधिमन्य कंसल्टेंट की सेवाएं ली जा सकती हैं। जिसकी सूची व अन्य विवरण नगरपालिका कार्यालय के लोक निर्माण शाखा में देखी जा सकती है।

सूचित हो।


(कैलाशचंद्र वर्मा)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका महिदपुर

पृ0क्रमांक-

महिदपुर, दिनांक

- 1- संपादक दैनिक दबंग दुनिया की ओर आगामी अंक में एक दिवसीय प्रकाशित कर अधिकतम राशि रूपये 5000/- का देयक सहित पांच प्रतियां प्रस्तुत करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3- संचालक/प्रबंधक.....की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट तीन दिवस में उपलब्ध करावें।
- 4- नगर के प्रमुख स्थानों/हास्पिटल/नर्सिंग होम के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका महिदपुर